

पत्रिकाओं और राजस्थान लोक अकादमी आभार
 न्याय आदेश 42-2017 अर्थात् सेवा केंद्र प्रमाणिका
 पर धरु हुई। आभारिका का दिनांक 27-11-17 को धरु दी प्रमाणिका
 अर्थात् आभारिका का दिनांक सुनी गई। अर्थात् आभारिका
 आभारिका ने आभारिका का दिनांक पर अर्थात् तबको ऐव
 दिनांकिका के आभार पर आभारिका स्वीकार सिधे
 आने हेतु सिधेरत धरु। अर्थात् अर्थात् ऐव
 अर्थात् राजस्थान आभारिका का अर्थात् दिनांकिका
 आभारिका का दिनांक प्रमाणिका अर्थात् 2018-71
 के आभारिका अर्थात् 421 अर्थात् दिनांक 5 अर्थात् 44 हैं
 अर्थात् अर्थात् अर्थात्, अर्थात्, अर्थात्
 अर्थात् अर्थात् अर्थात्, अर्थात्, अर्थात्
 अर्थात् (अर्थात्) अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् 2018 अर्थात् 71 अर्थात् अर्थात् 422 अर्थात्
 5517/3584 अर्थात् 2017 अर्थात् अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् अर्थात् अर्थात्, अर्थात्, अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् अर्थात्, अर्थात्, अर्थात् अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्

1

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वारिदात का वारदात आराजीपात में $\frac{1}{5}$ हिस्सा, परिवारिकों में $\frac{1}{5}$, परिवारिकों में 2 अंशों पर 4 का $\frac{1}{5}$ हिस्सा परिवारिकों में 5 का $\frac{1}{5}$ हिस्सा, परिवारिकों में 6 का $\frac{1}{5}$ हिस्सा बनाने से अल्प वारदात का स्वीकार किया जाना उचित समझना है। -

आदेश

वारिदात द्वारा प्रस्तुत वारदात अर्थात् धारा 53-188 R.T.A. अधिनियम द्वारा स्वीकार किया जायत हिंदी एवं वारिदात विवरण परिवारिकों के इस आदेश की शर्तों की जाती है कि वारदात प्रक्रियाओं के अन्तर्गत संवत् 2068-71 के अन्तर्गत सं-421 के अन्तर्गत 5 अंश 4=41 है व अन्तर्गत संख्या 422 अतः 5567/35842 का 0=02 है, के.मु. आचार्य से दूर रहनी है, अन्तर्गत की वारदात है अतः वारिदात परिवारिकों में 2 अंशों पर 4 अंशों, अन्तर्गत का $\frac{1}{5}$ हिस्से के अन्तर्गत वारदात वारिदात दिखे जाये है अन्तर्गत पत्रि से चन्द्र के विधि के अन्तर्गत पूर्व में ही प्रकरण के पत्रि पर है अतः वारदात आराजीपात में वारिदातों $\frac{1}{5}$ हिस्सा परिवारिकों में $\frac{1}{5}$ हिस्सा, परिवारिकों 2 अंशों पर 4 का $\frac{1}{5}$ हिस्सा, परिवारिकों 5 का $\frac{1}{5}$ हिस्सा, परिवारिकों 6 का $\frac{1}{5}$ हिस्सा अन्तर्गत अन्तर्गत एवं अन्तर्गत के आधार पर वारदात की अन्तर्गत में वारदात कर अन्तर्गत के अन्तर्गत के आदेश लक्ष्मीकर प्रक्रियाओं का दिखे जाये है हिंदी शर्तों का फावले के अन्तर्गत अन्तर्गत नन्तर्गत में वस है।

उपकरण अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फुलिया कला, जिला-पीलया